

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग (11.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – दोबांस

तहसील – पिथौरागढ़, जिला – पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रीठाखानी (कटपतिया) से दोबांस मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 4.935 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ~~4.935~~ हे० वन भूमि का सि०ख०लो०नि०वि०पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दोबांस द्वारा दिनांक 17/10/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दोबांस के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सि०ख०लो०नि०वि०पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /   
ग्राम सचिव दोबांस  
पिथौरागढ़ जिला-पिथौरागढ़

ह० /   
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत दोबांस  
वि०ख०-मूनाकोट, पिथौरागढ़

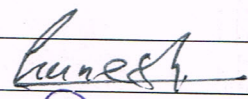
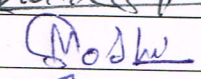
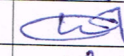
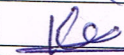
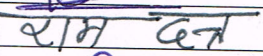
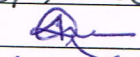
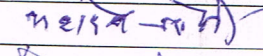
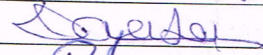
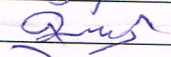
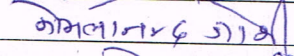
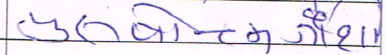
नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

## प्रपत्र-23.1

दिनांक 17/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थितिग्राम पंचायत दौबास

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | गणेश जोशी                                        |    |
| (2)     | मोहन जोशी                                        |    |
| (3)     | वन्शी धत जोशी                                    |    |
| (4)     | Kalyan Singh                                     |    |
| (5)     | राम देव                                          |    |
| (6)     | राजेश कुमार जोशी                                 |    |
| (7)     | महादेव जोशी                                      |   |
| (8)     | देवेन्द्र प्रसाद                                 |   |
| (9)     | लखनलाल जोशी                                      |  |
| (10)    | रजिंदर पटोले                                     |  |
| (11)    | गोमलानन्द                                        |  |
| (12)    | उदयान्त जोशी                                     |  |
| (13)    |                                                  |                                                                                       |
| (14)    |                                                  |                                                                                       |
| (15)    |                                                  |                                                                                       |
| (16)    |                                                  |                                                                                       |
| (17)    |                                                  |                                                                                       |
| (18)    |                                                  |                                                                                       |
| (19)    |                                                  |                                                                                       |

हो   
 ग्राम पंचायत दौबास  
 ग्राम प्रधान  
 दौबास - मनाकोट, पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग (11.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठाखानी (कटपतिया) से दोबांस मोटर मार्ग (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 4.935 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.935 हे० वन भूमि ) का सि०ख०लो०नि०वि०पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-पिथौरागढ़) की दिनांक .....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराज .....  
अभि.....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

- 1-श्री अनुराज अभि ..... उप जिलाधिकारी .....अध्यक्ष
- 2-श्री अभि ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी .....सदस्य
- 3-श्री अभि ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .....सदस्य / सचिव
- 4-श्री डोली जोशी ..... बी०डी०सी० क्षेत्र दोबांस ..... डोली जोशी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दृ रीठाखानी (कटपतिया) से दोबांस मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.935 हे० वन भूमि सि०ख०लो०नि०वि०पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम

सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.935 हे० वन भूमि सि०ख०लो०नि०वि०प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
पिथौरागढ़  
तहसील—पिथौरागढ़  
(उत्तराखण्ड)  
जनपद—पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sub. Divisional Officer  
Didihat  
Pithoragarh Forest Divi.

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
पिथौरागढ़  
तहसील—पिथौरागढ़  
(उत्तराखण्ड)  
जनपद—पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग (11.000 किमी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिलास्तरीय स्तरीय समिति -पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग (5.761 हे० नाप भूमि, 4.935 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन, अर्थात् कुल 4.935 हे० वन भूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति (जिला- पिथौरागढ़) की दिनांक 19/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी०सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

- 1-श्री एच०सी०सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2-डॉ० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3-श्री श्याम लाल आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4-श्री सुशीला खंडावाल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र रीठाखानी सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रीठाखानी कटपतिया से दोबांस मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.935 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी  
अध्यक्ष  
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सदस्य/सचिव  
पिथौरागढ़

जिला पंचायत  
सदस्य

प्रपत्र--23.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दौबांस मोटर मार्ग (11.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित रीठाखानी कटपतिया से दौबांस मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.935 हे० वन भूमि सि०ख०लो०नि०वि०पिथौरागढ़ एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति पिथौरागढ़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही हैं व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह०  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संगलन नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संगलन किया जायेगा।

**Name of Work :-** Construction of Rithkhani (Katpatia) to Dobans Motor Road (11.00 Km) under PMGSY in Pithoragarh district.

Annexure-1

**FORM - 1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District collector : Pithoragarh**

No.

Date :

**To Whomsoever it May Concern**

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rithkhani (Katpatia) to Dobans Motor Road (11.00 Km) under PMGSY in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Dholkanda, Kankutia & Dobans village's in Pithoragarh Tehsil.

It is further certified that :

| S.No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Remarks                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>4.935 hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure _____ to _____. | Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.                                                                                                                                       |
| 2     | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.                                                                                                                                                                                                          | Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file. |
| 3     | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.                                                                                                                                       |

Encl.- As above.

Signature  
(District Collector)

पिथौरागढ़

## प्रपत्र-22

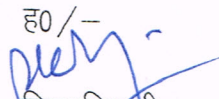
परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दौबांस मोटर मार्ग (11.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित रीठाखानी कटपतिया से दौबांस मोटर मार्ग (11.000 कि०मी०) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 10.696 है० भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 4.935 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक-05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेसण लाईन, ओ०एफ०सी० केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रायोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहा है।

  
सहसिलदार  
पिथौरागढ़

ह०/-  
  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़